



भारत सरकार  
कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त  
विशाखपट्टणम

आयकर भवन  
डाबागार्डेन्स, विशाखपट्टणम - 530 020  
टेल, कार्यालय : 0891-2713061  
फैक्स : 0891-2713198

GOVERNMENT OF INDIA  
Office of the  
Chief Commissioner of Income Tax  
Visakhapatnam

Aayakar Bhavan  
Dabagardens, Visakhapatnam - 530 020  
Tel. Off : 0891-2713061  
Fax : 0891-2713198

मुख्य आयकर आयुक्त, विशाखपट्टणम की कार्यवाही  
PROCEEDINGS OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOMETAX, VISAKHAPATNAM.

(एस.के. पाठक S.K. PATHAK)

मुख्य आयकर आयुक्त Chief Commissioner of Income Tax  
विशाखपट्टणम Visakhapatnam

सं.No.CC/VSP/Tech/10(23C)/12-13

दिनांक Dated : 27.02.2013

विषय - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv) के तहत मेसर्स सत्य संक्षेमा संघम, वी.एल. पुरम राजमुन्द्री टाउन, जिला- पूर्वी गोदावरी को प्रदान किये गये छूट को जारी रखने के संबंध में।

Sub : Continuation of exemption granted under sec.10(23C) (iv) of the I T Act, 1961 - in the case of **M/s Satya Sankshema Sangham, V. L. Puram Rajahmundry Town, East Godavari District** - order - issue of - Reg.

\*\*\*\*

आदेश ORDER:

इस कार्यालय के दिनांक 20/12/2012 के पत्र सं. सीसीआईटी/वीएसपी/तक/10(23c)/29/2012-13 के उत्तर में मेसर्स सत्य संक्षेमा संघम, वी.एल. पुरम राजमुन्द्री टाउन, जिला- पूर्वी गोदावरी की ओर से प्रस्तुत किये गये बयानों और दस्तावेजों को स्वीकार करते हुए इस कार्यालय के आदेश सं. सीसीआईटी/वीएसपी/तक/10(23C) )/29/06-07 दिनांक 05-03-2008 के द्वारा धारा 10(23सी)(iv) के अंतर्गत प्रदान किये गये अनुमोदन को भविष्य में पुनरीक्षण एवं निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के लगातार अनुपालन करने के शर्त पर जारी रहेगा।

Considering the submissions made and documents produced on behalf of **M/s. Satya Sankshema Sangham, V.L. Puram Rajahmundry Town, East Godavari District** in response to this office letter No.F.No.CCIT/VSP/TECH/10(23C)/29/2012-13, dated.20/12/2012, the approval granted u/s.10(23C)(iv) vide this office order F.No.CC/VSP/Tech/10(23C) )/29/06-07, dated. 05-03-2008, would continue **subject to review in future** and continued compliance to the prescribed terms and conditions.

Contd.....2